

**झारखण्ड सरकार**  
**खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

**अधिसूचना**

विभागीय अधिसूचना संख्या—06 / 06—जबिंप्र० (नीतिगत)–01 / 2017—खा०आ० –777, दिनांक 07.03.2019 के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 अधिसूचित किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-38 में यह प्रावधानित है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के सफल व सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इस आदेश के नीतिगत मामलों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

3. तदनुसार झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका 38 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित रूप से संशोधन अधिसूचित किया जाता है :—

4. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-2(xiii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है —

(xiii) 'अनुज्ञापन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पदाधिकारी, जो अपने प्रक्षेत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अथवा इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-2 में निम्नवत् नई उपकंडिका (xxix) जोड़ी जाती है :—

"परिवार" से अभिप्रेत है कि एक चूल्हे से खाना खानेवाले पति, पत्नी एवं उनके बच्चे तथा पति के आश्रित माता, पिता एवं उन पर आश्रित सभी अविवाहित भाई—बहन।

6. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-2 में निम्नवत् नई उपकंडिका (xxx) जोड़ी जाती है :—

"झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना" से आच्छादित परिवार से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित वैसे लाभुक परिवार, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में वर्णित पात्रता तो पूरा करते हैं, परन्तु वर्तमान में रिक्ति नहीं होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित नहीं है, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से विधिवत आच्छादित किया गया है।

7. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-3(ii) एवं 3(v) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है —

3.(ii) निम्नलिखित गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे;

उल्लेख

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालू किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित परिवार।
- (ख) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवार।
- (ग) अन्य गृहस्थ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लक्षित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
- 3.(v) उपर्युक्त (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के हकदार होंगे।

8. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-4(i), (ii) एवं (iii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

- 4.(i) खण्ड 3 के उपर्युक्त (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों की पहचान विभाग द्वारा निर्धारित अपवर्जन एवं समावेशन मानकों के आधार पर की जाएगी। विभाग इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्ड निर्गत करने का निदेश जारी कर सकता है।
- 4.(ii) समावेशन मानक (Inclusion Criteria)
- (a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।
  - (b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।
  - (c) 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।
  - (d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
  - (e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय

इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।

- (f) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य रचायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।
- (h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/शाढ़ूकश (Sweeper)।
- (i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोड़ा उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्षाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।
- (j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

#### 4.(iii) अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

- (a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य रचायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियाजित हो, अथवा;
- (b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;
- (c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;
- (d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;
- (e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का रखायी या संचालक हो, अथवा;
- (f) सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;
- (g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।

9. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-6 (i)(क), (ख) एवं (घ) तथा (iii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

6.(i)(क) वैसे लाभार्थी, जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, किन्तु किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, नए राशन कार्ड के निर्माण हेतु निशुल्क ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सेवा केन्द्रों अथवा अन्य जगहों से ऑनलाइन आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

6.(i)(ख) कार्ड के गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर लाभार्थी विभाग द्वारा तथा शुल्क (रु. 10/- (दस) मात्र) के साथ राशन कार्ड की द्वितीयक प्रति हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। प्राकृतिक आपदा यथा—बाढ़, भूकम्प, दुर्घटना, आदि के कारण राशनकार्ड गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। साथ ही, अन्योदय परिवारों को भी राशनकार्ड गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। नए राशन कार्ड प्राप्त करने के एवज में क्षतिग्रस्त राशन कार्ड समर्पित करना होगा अथवा गुम हो जाने/क्षतिग्रस्त होने का शपथ—पत्र समर्पित करना होगा।

6.(i)(घ) प्राप्त राशनकार्ड में किसी भी गलत प्रविष्टि में सुधार/बदलाव हेतु लाभार्थी समर्थन दरतावेज के साथ ऑनलाइन निशुल्क आवेदन समर्पित करेंगे।

6.(iii) राशनकार्ड आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :—

(क) सर्वप्रथम आहार पोर्टल ([aahar.jharkhand.gov.in](http://aahar.jharkhand.gov.in)) पर जाकर ऑनलाइन सेवा के अन्तर्गत Book a slot को खोलेंगे। इसके पश्चात् कोई अपनी सुविधानुसार को एक slot आरक्षित करेंगे।

(ख) इसके बाद मोबाईल नम्बर डालकर अपना slot हेतु निबंधन संख्या प्राप्त कर लेंगे।

(ग) तत्पश्चात् अपने निर्धारित slot में अपना निबंधन संख्या एवं मोबाईल संख्या डालेंगे। इसके पश्चात् नये राशनकार्ड निर्माण हेतु बटन को विलक करेंगे जिसके पश्चात् नये राशनकार्ड के निर्माण हेतु ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त होगा। इस ऑनलाइन फॉर्म में सभी आवश्यक सूचनाएँ यथा नाम, उम्र, परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, पता, फोटो, सभी सदस्यों का आधार संख्या (अनिवार्य), बैंक खाता संख्या, जाति प्रमाण पत्र (आगर लागू हो तो) विधवा, विद्युर इत्यादि से संबंधित घोषणा पत्र, (आगर लागू हो तो) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (आगर लागू हो तो) एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (आगर लागू हो तो) आदि सूचनाएँ भरकर तथा उसकी ऑनलाइन कॉपी जमा करेंगे। तत्पश्चात् एक Acknowledgement number, generate होगा एवं संबंधित आवेदनकर्ता का आवेदन संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु पहुँच जायेगा।

10. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-6 में निम्नवत् नई उप कंडिका-(ज) जोड़ा जाता है –

6.(ज) राशन कार्ड के निर्माण/सुधार/रद्दीकरण आदि के लिए प्रणाली निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

## I. नये राशन कार्ड का निर्गमन :-

वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, वे नये गुलाबी, हरा अथवा राफेद राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :—

- (क) सर्वप्रथम नये हरे राशन कार्ड का आवेदन परिवार की महिला मुखिया द्वारा दिया जायेगा। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला नहीं होने की स्थिति में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा एवं उक्ता स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार की मुखिया होगी। यदि उस परिवार में वयस्क महिला हैं और तब भी पुरुष सदस्य द्वारा ऐसे आवेदन दिये गये हों या दिये जायेंगे तो ऐसे आवेदन के निस्तारण के क्रम में व्यस्क महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा।
- (ख) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु परिवार के मुखिया के साथ-साथ सभी सदस्यों का आधार संख्या अपलोड करना होगा। वर्तमान में IM-PDS योजना के क्रियान्वयन रहने के कारण कोई भी नया राशनकार्ड बिना आधार संख्या के नहीं बन सकता।
- (ग) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु आवेदनकर्ता को परिवार के समावेशन मानक में सन्निहित होने तथा अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (नया प्रपत्र-VIII)। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 में निर्धारित प्रपत्र VIII, VIIIA एवं VIIIB को नये प्रपत्र VIII द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

आवेदकों द्वारा निर्धारित (प्रपत्र-12 A में) ऑनलाइन आवेदन समर्पित किये जायेंगे, जिसमें आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या, गोबाइल संख्या, बैंक खाता संख्या, इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

प्राप्त आवेदनों को निर्धारित रामावेशन/अपवर्जन मानक के संदर्भ में संबंधित पंचायत सेवक/आँगनबाड़ी रोपिका/प्रधानाध्यापक/शिक्षक के द्वारा आवेदन जाँच करते हुए दोगुनी रांख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची (Draft Priority list) तैयार की जायेगी, जिसका प्रारूप प्रकाशन जिले की वेबसाईट तथा प्रखण्ड/पंचायत/शहरी वार्ड रत्तीय कार्यालय में किया जायेगा।

प्रकाशित की गयी प्रारूप प्राथमिक सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करते हुए आपत्तियों का निराकरण संबंधित पंचायत के मुखिया/शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड रत्तीय रामा के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक, पंचायत में अवरिथत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षक, संबंधित पंचायत के आँगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत कार्यकारिणी/वार्ड कार्यकारिणी के समर्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए विधिवत् कार्यवाही तैयार की जायेगी जिसकी हार्ड कॉपी पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर तथा सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर संधारित की जायेगी। बैठक की कार्यवाही तैयार करने का दायित्व संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पंचायत स्तरीय कर्मी पर होगा।

- (घ) निर्धारित लक्ष्य के डेट गुण संख्या में आवेदकों की अंतिम प्राथमिकता सूची (Final Priority list) तैयार करने के क्रम में परिशिष्ट-V पर वर्णित अधिमानता को दृष्टिगत रखते हुए क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में किसी एक श्रेणी के लाभुक परिवारों के गुणिया की जन्मतिथि के अनुसार अधिक सग्रह वाले आवेदकों को पारस्परिक वरीयता प्रदान की जायेगी।

पंचायत रत्तीय/शहरी वार्ड रत्तीय सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिग प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत/वार्ड के सबसे जरुरतमंद व्यक्ति का नाम किसी भी हालत में छूटने न पाये, जिस क्रम में विशेष परिस्थिति में उपर्युक्त वर्णित अधिमानता सूची को उस हद तक अवक्रमित किया जा सकेगा।

(ङ) आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् संबंधित पंचायत/शहरी वार्ड रत्तीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा तथा शेष लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल [www.aahar.jharkhand.gov.in](http://www.aahar.jharkhand.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

(च) उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलावार आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम रास्त्या निर्धारित की गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का Addition एवं Deletion एक सात् प्रक्रिया है, जिसके कारण जिलावार रिक्तियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। जिलावार रिक्तियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नये लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशनकार्ड निर्गत किया जा सकता है।

(छ) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिले के चयनित समस्त लाभुकों की पंचायतवार/शहरी वार्ड रत्तीय प्राथमिकता सूचियों को सम्मिलित करते हुए अधिमानता सूची (परिशिष्ट-V) के आधार पर जन्म तिथि की अधिमानता के अनुरूप जिलावार प्राथमिकता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्राथमिकता सूची से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्पन्न रिक्तियों के आलोक में नये लाभुकों को आच्छादित किया जायेगा।

इस क्रम में लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रथानांतरण होने पर उस हद तक प्रतीक्षा सूची से नये लाभुकों का समावेशन प्रतीक्षा सूची में किया जायेगा।

(ज) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्रवाई की जायेगी। तत्पश्चात् उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में गाह के तृतीय सोमवार को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रथानांतरण किया जायेगा।

रथानांतरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध माह के तृतीय सोमवार को पूर्व से तैयार प्रतीक्षा सूची से उतनी ही संख्या में लाभुकों को हरे राशन कार्ड से आच्छादित किया जायेगा।

इस प्रकार यह प्रक्रिया हर माह सतत रूप से जारी रहेगी।

(झ) संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पण्ड पदाधिकारी के जाँचोपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर नये राशन कार्ड के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सासग्रह ऑनलाइन रवीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन पत्र रामर्पित किये जाने में समर्थ्य होने की स्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र रामर्पित किये जा सकेंगे।

## II. परिवार के बैटवारे की स्थिति में नये राशन कार्ड का निर्गमन :-

अन्त्योदय/पूर्वविक्ता प्राप्त/सफेद राशन कार्डधारी लाभार्थी परिवार यदि परिवारिक बैटवारे के कारण अपना नया अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हों, तो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। यह आवेदन सीधे जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) परिवार बैटवारे की स्थिति में नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन (प्रपत्र-12 B(i) तथा 12 B(ii) में) परिवार के गुरुत्वा अपने आधार संख्या के साथ दे सकते हैं।
- (ख) बैटवारे के कारण अपना नया अलग राशन कार्ड बनवाना हेतु पुराने राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ पूर्व में निर्गत राशनकार्ड में उल्लेखित समर्पित सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त बैटवारानामा की छायाप्रति अपलोड करना होगा।
- (ग) आवेदनकर्ता को परिवार के अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित रवधोषणा पत्र अपलोड करना होगा (प्रपत्र-VIII)।
- (घ) बैटवारे के कारण नया अलग राशन कार्ड बनवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन सदाधिकारी/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन ऑनलाइन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (ङ) आवेदन स्वीकृत करने की स्थिति में बैटवारा के पश्चात पुराने (मूल) राशन कार्ड एक परिवार को तथा अन्य अलग हुए पात्र लागुक परिवारों को पूर्वविक्ता प्राप्त अथवा अपात्र लागुक की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।
- (च) अन्त्योदय परिवार के बैटवारे की स्थिति में पुराना अन्त्योदय कार्ड को रद्द करते हुए बैटवारे के पश्चात पात्र लागुक परिवार/परिवारों को पूर्वविक्ता प्राप्त राशनकार्ड अथवा अपात्र हो जाने की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशनकार्ड निर्गत किया जा सकेगा।
- (छ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात पुराने राशनकार्ड में बैटवारे के पश्चात अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम हटाना एवं नये राशनकार्ड की स्थिति में अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/ अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवार) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

## III. राशन कार्ड में पता बदलवाना :-

वैसे लाभार्थी परिवार, जिनके पास राशन कार्ड है, एवं जो अपना आवास रथान बदलने के कारण राशन कार्ड में पता बदलवाना चाहते हों तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड में पता बदलवाने का आवेदन (प्रपत्र-12 C में) परिवार के मुखिया अपने आधार संख्या के साथ दे सकते हैं।
- (ख) राशन कार्ड में पता बदलवाने हेतु पुराने राशन कार्ड की छायाप्रति अपलोड करनी होगी।
- (ग) आवेदनकर्ता को पता बदलवाने हेतु पुरानी पता वाले DSO/BSO को भी सर्वप्रथम अपना राशनकार्ड उस पते से रद्द करने हेतु देना होगा साथ ही साथ नये पता पर राशन कार्ड बनवाने हेतु अपने आवेदन को संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को ऑनलाइन समर्पित करना होगा।
- (घ) पुराने पता वाले राशनकार्ड का रद्दीकरण होने के उपरान्त ही उन्हें नया राशनकार्ड का निर्गमन हो सकेगा। पुराना पता अन्य राज्य में होने की स्थिति में दूसरे राज्य में भी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला

आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा सूचित किया जाएगा एवं इसका प्रतिशपथ पत्र भी ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

- (ङ.) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन देने के पश्चात् पुराने राशनकार्ड का रद्दीकरण एवं नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/ अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

#### IV. पुराने राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ना :-

वैसे लाभार्थी, जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने का आवेदन (प्रपत्र-12 D में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु उस सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम परिवार के मुखिया से संबंध, मोबाईल संख्या एवं अनिवार्य रूप से आधार संख्या संलग्न करना होगा।
- (ग) आवेदनकर्ता को परिवार के अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित रखघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (प्रपत्र-VIII)।
- (घ) संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर नये सदस्य का नाम जोड़ने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुमान पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रासमय ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (ङ.) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में नये सदस्यों के नाम जोड़ने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

#### V. एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ना :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे विवाह जैसी परिस्थिति के अनुरूप एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन (प्रपत्र-12 E(i) तथा 12 E(ii) में) दोनों राशनकार्ड के परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु उस रादस्य का आधार संख्या संलग्न करना होगा। साथ ही, पता बदलवाने हेतु पुराने राशनकार्ड की छायाप्रति अपलोड करनी होगी। पुराना राशनकार्ड झारखण्ड राज्य में ही होने की स्थिति में सर्वप्रथम पुराने राशनकार्ड में संबंधित आवेदनकर्ता का नाम रद्द किया जाएगा। तत्पश्चात् नये राशनकार्ड में नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। पुराना राशनकार्ड झारखण्ड से बाहर अन्य राज्य में होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को रवयं अपने पुराने राशनकार्ड के मुखिया द्वारा अपना नाम कटवाने हेतु संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देना होगा तथा इस आशय का प्रतिशपथ पत्र ऑनलाईन समर्पित करना होगा।
- (ग) आवेदनकर्ता को परिवार के अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित रखघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (प्रपत्र-VIII)।
- (घ) संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नये

सदस्य का नाम जोड़ने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ससमय ऑनलाईन खीकृत/अखीकृत किया जायेगा।

- (ङ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में नये सदस्यों के नाम जोड़ने का कार्य एवं पुराने राशनकार्ड में नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

#### VII. पुराने राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटाना :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड में मृत अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने का आवेदन (प्रपत्र-12 F में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा। अगर सबसे व्यस्क महिला/मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु उपरान्त राशनकार्ड में होने वाले परिवार के अगले व्यस्क महिला/मुखिया के द्वारा आवेदन दिया जायेगा।
- (ख) मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो सिर्फ इसे ही अपलोड करने पर उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में मृत अथवा प्रवासी सदस्य का नाम हटाने हेतु परिवार के मुखिया को अपने आधार संख्या की छायाप्रति अपलोड करना होगा।
- (ग) मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरान्त विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस अनुरोध को ससमय ऑनलाईन खीकृत/अखीकृत किया जायेगा।
- (घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता/अन्य स्रोत/सर्वेक्षण आदि से मृत सदस्य का नाम हटाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय मृत सदस्य का नाम संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
- (ङ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में सदस्यों के नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

#### VIII. राशन कार्ड को सरेण्डर करना :-

वैसे लाभार्थी परिवार जो आर्थिक स्थिति में उन्नति होने के कारण स्वेच्छा से राशन कार्ड का सरेण्डर करना चाहते हों वे ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड को सरेण्डर करने का आवेदन (प्रपत्र-12 G में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) राशन कार्ड सरेण्डर करने हेतु मुखिया को अपना आधार संख्या अपलोड करना होगा।
- (ग) राशन कार्ड सरेण्डर करने हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरान्त विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस अनुरोध को समय अॉनलाईन र्सीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (घ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड के रद्दीकरण का कार्य करते हुए सभी सदस्यों का नाम राशनकार्ड से हटाने का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

### VIII. अन्त्योदय परिवार से पूर्वविक्ता परिवार में रिथति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड का परिवर्तन :-

वैसे लाभार्थी परिवार जिनके पास अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है, वे आर्थिक रिथति परिवर्तित होने के कारण र्खेच्छा से अपने कार्ड को पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करना चाहते हों तो विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड को अन्त्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करने का आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) राशन कार्ड में उपर्युक्त बदलाव करने हेतु परिवार के मुखिया को अपने आधार संख्या को अपलोड करना होगा।
- (ग) राशन कार्ड को अन्त्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में बदलावने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड बदलने का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

### IX. पुराने राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया का बदलाव :-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मुखिया के बदलाव ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) पारिवारिक मुखिया के बदलाव का आवेदन (प्रपत्र-12 H में) परिवार के सभी सदस्यों को अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रतिशपथ पत्र द्वारा दिया जायेगा। साथ ही, उपर्युक्त राशनकार्ड में मुखिया का बदलाव किये जाने के कारण (मुखिया की मृत्यु, मुखिया का किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना, मानसिक दिवालियापन आदि) का भी उल्लेख करना होगा।
- (ख) इस हेतु सभी सदस्य नाम, उम्र, आधार संख्या, पता पुराने मुखिया के साथ संबंध, नये मुखिया के साथ संबंध एवं पुराने मुखिया को बदलने का कारण संलग्न प्रपत्र के अनुसार देना होगा।

- (ग) राशन कार्ड में परिवारिक मुखिया बदलवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड में मुखिया का नाम बदलने का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की रिथ्ति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

#### X. राशन कार्ड का रद्दीकरण—

निम्नांकित परिस्थितियों में भी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा और उनका पक्ष जाना जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा :—

- (क) यदि राशन कार्डधारी का परिवार अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आ गया हो अथवा,
- (ख) यदि राशन कार्डधारी का पूरा परिवार अपने निवास स्थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रहता हो अथवा,
- (ग) यदि राशन कार्डधारी द्वारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण प्रणाली दुकान से सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किया गया हो अथवा,
- (घ) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपना कार्ड सरेण्डर करने का आवेदन दिया गया हो अथवा,
- (ङ.) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपने आधार नम्बर पर एक से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड का उठाव किया गया हो, तो उसके मूल राशनकार्ड को छोड़कर शेष अन्य सभी संबंधित राशन कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे।
- (च) कंडिका क, ख एवं ग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जाँचकर्ता द्वारा प्रपत्र 12 I के अनुरूप आवेदन भरकर अपलोड की जायेगी।
- (छ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड के रद्दीकरण का कार्य करते हुए सभी सदस्यों का नाम राशनकार्ड से हटाने का कार्य हर माह के प्रथम सोमवार (सोमवार को छुट्टी/अवकाश घोषित रहने की रिथ्ति में उसके अगले कार्य दिवस) को जिला द्वारा पुरा कर लिया जायेगा।

11. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-7(ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

- 7.(ii) यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है; तो सर्वप्रथम उसके राशनकार्ड को निरस्त कर दिया जायेगा एवं अगर उसके द्वारा ऑनलाईन राशन का उठाव किया गया है तो उसके विरुद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी :
- (क) आपराधिक कार्यवाही,
  - (ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली।

(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उदयम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन।

12. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-7(iii) के रूप में निम्नवत् नया अंश जोड़ा जाता है—

7.(iii) "अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है तो उसका पक्ष सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर अगर दोषी पाए जाते हैं तो कंडिका-7(ii) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।"

13. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-8(vii), (ix), (xiii) एवं (xix) को निम्नतर प्रतिस्थापित किया जाता है—

8.(vii) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड तब तक वैध रहेगा जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाय या उसकी निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः नया राशनकार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

8.(ix) राशन कार्ड पर राशनकार्डधारक मुखिया का स्पष्ट रूप से नाम, पूर्ण पता, उम्र एवं सदस्यों का पूर्ण नाम, उम्र तथा राशन कार्डधारक मुखिया से संबंध एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम, जिसकी दुकान से उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी, उल्लेखित किया जायेगा।

8.(xiii) विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों से आधार, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त कर राशन कार्ड डाटाबेस में सीडिंग की जाएगी। राशनकार्ड में आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य है। शेष की अनुपलब्धता की स्थिति में लाभुक द्वारा इस आशय का शपथ-पथ समर्पित किया जायेगा।

8.(xix) यदि कोई व्यक्ति राशन कार्ड का त्याग करना चाहता है तो वह अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपना स्वघोषणा पत्र विवरणी प्रपत्र-X में दे सकता है। यह विवरणी ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

14. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-10(xiv) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

10.(xiv) विभिन्न प्रकार के अनुज्ञितियों हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र निम्नवत् होंगे—

क्र० सं०	अनुज्ञिति का प्रकार	अनुज्ञापन पदाधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	उचित मूल्य की दुकान	अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी तथा अन्य क्षेत्रों में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी	संबंधित क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान को संचालित किया जाना है।
2	किरासन तेल थोक विक्रेता	उपायुक्त	जिला जिसके अन्तर्गत विक्रेता की नियुक्ति की गई है।

15. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका-13 (i) एवं 13 (ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—

13.(i) जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञाप्ति पाँच कैलेन्डर वर्ष के लिए वैध होगी एवं प्रति पाँच वर्ष पर दुकानदारों के अनुरोध पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण किया जाएगा।

व्याख्या :— कैलेन्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि।

13.(ii) प्रत्येक अनुज्ञाप्ति हेतु 5 वर्षों के लिए प्रदेय शुल्क (रूपये में) निम्नवत् होगा —

क्र० सं०	अनुज्ञाप्ति का प्रकार	जनवितरण प्रणाली विक्रेता	किरासान तेल थोक विक्रेता
1	नई अनुज्ञाप्ति	2,000	5,000
2	नवीनीकरण	2,000	5,000
3	दवितीयक प्रति	1,000	2,000

16. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह),

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झापांकः—खा०प्र०—०१ / ज०वि०प्र० / रा०का० / १३—०३ / २०२०— १६० / राँची, दिनांक— २०.०१.२१

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किया जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झापांकः—खा०प्र०—०१ / ज०वि०प्र० / रा०का० / १३—०३ / २०२०— १६० / राँची, दिनांक— २०.०१.२१

प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशाल, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर रामाहर्ता (आपूर्ति) धनबाद/ विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



## आवेदनकर्ता के परिवार का अपर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा—पत्र

मैं .....  
.....

पिता / पति—.....  
.....

पता : .....

राशनकार्ड संख्या: .....

श्रेणी—सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / PVTG,  
आयु : ..... पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता / करती हूँ कि निम्नवर्णित समावेशन  
मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर मैं एक सुपात्र आवेदक हूँ (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएं) —

- (1) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत नहीं हैं, अथवा
- (2) मैं विधवा / परित्यक्ता / Transgender हूँ तथा भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास, इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत नहीं हूँ, अथवा
- (3) मैं 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाला निःशक्त हूँ तथा भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास, इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत नहीं हूँ, अथवा
- (4) मैं आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) का सदस्य हूँ तथा भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास, इत्यादि में नियोजित हूँ, अथवा
- (5) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार मैं केंसर / एड्स / कृष्ण / अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ तथा भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास, इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत नहीं हूँ, अथवा
- (6) मैं अकेला रहने वाला वृद्ध / बुजुर्ग व्यक्ति / एकल परिवार हूँ, जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ, अथवा
- (7) मैं खिखारी / गृहविहीन व्यक्ति हूँ अथवा
- (8) मैं कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker) / झाड़ूकश (Sweeper) हूँ अथवा
- (9) मैं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker) / राजमिस्त्री (Mason) / अकृशल श्रमिक (Unskilled Labour) / घरेलू श्रमिक (Domestic Worker) / कुली एवं रियर पर बोझ चराने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) / रिक्षावालक (Rickshaw Puller) / ठेला चालक (Thela / Hand Cart Puller) हूँ अथवा

- (10) मैं फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेंटर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्ट्री (Electrician)/गैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber)/गाली (Mali)/धोबी (Washerman)/गोची (Cobbler) हूँ।

उपर्युक्त क्रम में निम्नवर्णित अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर पूर्ण सत्यनिष्ठान के साथ घोषण करता/करती हूँ कि –

- (11) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित नहीं हैं।
- (12) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर/GST नहीं देता है।
- (13) मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक रिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से असिंचित भूमि नहीं है।
- (14) मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया गोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन नहीं हैं।
- (15) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हैं।
- (16) मेरे या मेरे परिवार के पास पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अनावृद्धि है।
- (17) मेरे या मेरे परिवार के पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का गश्तीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) नहीं हैं।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

साथ ही, मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की रीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

नाम : .....

## नये राशनकार्ड निर्गमन हेतु आवेदन प्रपत्र 12A

(78)

### पता

ग्राम :

वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :

पंचायत :

प्रखण्ड :

ज़िला :

ज़ाविंप्र० दुकान का नाम :

### प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)

- आदिम जनजाति परिवार (PVTG)
- विधवा / परित्यक्ता / Transgender
- निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)
- कैंसर / एड्स / कुछ / अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- अकेले रहने वाले वृद्ध / बुजुर्ग व्यक्ति / एकल परिवार
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अन्यान्य

### बैंक खाता विवरणी

आवेदक मुखिया का नाम : .....

बैंक का नाम : .....

बैंक शाखा का नाम: .....

बैंक खाता संख्या: [REDACTED]

\* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण—पत्र/निःशक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या		मोबाइल नम्बर
						G	H	
A	B	C	D	E	F			
1					स्वयं			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैंने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैंने सही पाया / निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या) — ..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या) — ..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

# ७७

## बैंटवारे के पश्चात् पुराने परिवार हेतु संशोधित पुराने राशनकार्ड प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र 12 B(i)

<p><b>पता</b></p> <p>ग्राम :</p> <p>वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :</p> <p>पंचायत :</p> <p>प्रखण्ड :</p> <p>ज़िला :</p> <p>ज़ाविंप्र० दुकान का नाम :</p> <p>राशनकार्ड संख्या :</p>	<p>मेरे परिवार में बैंटवारे के कारण कुल परिवारों की संख्या: ..... हो गई है। इस क्रम में बैंटवारा नाम की छायाप्रति आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मूल राशनकार्ड में बैंटवारे के पश्चात् अलग हो गये पुराने सदस्यों का नाम हटाकर शेष बचे सदस्यों का नाम के साथ मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है जिसकी विवरणी नीचे दी जा रही है।</p>	<p><b>बैंक खाता विवरणी</b></p> <p>आवेदक मुखिया का नाम : .....</p> <p>बैंक का नाम : .....</p> <p>बैंक शाखा का नाम: .....</p> <p>बैंक खाता संख्या: [ ]</p> <p>* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा नि:शक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।</p>
---	--	---

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाइल नम्बर	
						D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	मुखिया का नाम				स्वयं												
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरन्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

१६

## बैंटवारे के पश्चात् बने नये परिवार हेतु नये राशनकार्ड का आवेदन प्रपत्र 12 B(ii)

<p><b>पता</b></p> <p>ग्राम :</p> <p>वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :</p> <p>पंचायत :</p> <p>प्रखण्ड :</p> <p>जिला :</p> <p>ज़ोविंप्र० दुकान का नाम :</p> <p>पुराना राशनकार्ड संख्या :</p>	<p><b>प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक</b> (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> आदिम जनजाति परिवार (PVTG)</li> <li><input type="checkbox"/> विधवा / परित्यक्ता / Transgender</li> <li><input type="checkbox"/> निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिल)</li> <li><input type="checkbox"/> कैंसर / एड्स / कुष्ठ / अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति अकेले रहने वाले वृद्ध / बुजुर्ग व्यक्ति / एकल परिवार</li> <li><input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति</li> <li><input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति</li> <li><input type="checkbox"/> अन्यान्य</li> </ul>	<p><b>बैंक खाता विवरणी</b></p> <p>आवेदक मुखिया का नाम : .....</p> <p>बैंक का नाम : .....</p> <p>बैंक शाखा का नाम : .....</p> <p>बैंक खाता संख्या : [ ]</p> <p>* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण—पत्र/निःशक्ता प्रगाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।</p>
---	--	---

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या		मोबाइल नम्बर
						B	C	
1	मुखिया का नाम				स्वयं			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

मेरे परिवार में बैंटवारे के कारण कुल परिवारों की संख्या : ..... हो गई है। इस क्रम में बैंटवारा नामा की छायाप्रति आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मूल राशनकार्ड में मेरा परिवार अब समिलित नहीं है। अतएव नये राशनकार्ड हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सभी एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचेप्राप्ति मैने सही पाया / निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या) — ..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या) — ..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

राशन कार्ड में पता में बदलाव संबंधी प्रपत्र 12C

25

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाइल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

पूर्व में मेरा परिवार पुराने पता पर रहता था। वर्तमान में उपरोक्त दिये गये वर्तमान पता पर निवास करता है। मेरे राशनकार्ड में पुराने पते को बदलकर वर्तमान पते की इन्हीं करायी जाए। वर्णित उपर्युक्त विवरण मेरे अभिज्ञान में सही एवं त्रुटिरहित है। मेरे द्वारा ..... (राज्य एवं जिला का नाम) के संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उस बावत सूचित कर दिया गया है (प्रतिशपथ-पत्र की प्रति संलग्न)।

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया –

- आवेदक के द्वारा वर्तमान पते पर निवास किया जाता है।
- आवेदक के पुराने जन वितरण प्रणाली दुकान से इनकी टैगिंग हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर

# राशनकार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 12D

१४

## पता

ग्राम :  
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :  
पंचायत :  
प्रखण्ड :  
जिला :  
ज़ोवियोप्र० दुकान का नाम :  
राशनकार्ड संख्या :

## प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)

- आदिम जनजाति परिवार (PVTG)
- विधवा/परित्यक्ता/Transgender
- निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)
- कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अन्यान्य

## बैंक खाता विवरणी

आवेदक मुखिया का नाम : .....

बैंक का नाम : .....

बैंक शाखा का नाम : .....

बैंक खाता संख्या : [ ]

\* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण—पत्र/निःशक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/ नये सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाइल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1	मुखिया का नाम				स्वयं		
2	नये सदस्य का नाम						
3	नये सदस्य का नाम						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

मुख्य

१५

पृष्ठ 3 / 3

# एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु पुराने राशनकार्ड के मुखिया हेतु आवेदन प्रपत्र 12 E(i)

<p><u>पता</u></p> <p>ग्राम : वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) : पंचायत : प्रखण्ड : जिला : पुराने जब्ति प्र० दुकान का नाम : पुराना राशनकार्ड संख्या :</p>	<p><u>पुराने सदस्य का नया पता</u></p> <p>नाम : आधार संख्या : ग्राम : वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) : पंचायत : प्रखण्ड : जिला : नये जब्ति प्र० दुकान का नाम : नया राशनकार्ड संख्या :</p>	<p><u>बैंक खाता विवरणी</u></p> <p>आवेदक मुखिया का नाम : ..... बैंक का नाम : ..... बैंक शाखा का नाम : ..... बैंक खाता संख्या : [ ]</p> <p>* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण—पत्र/निःशर्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।</p>
--	--	--

क्र० सं०	आवेदक मुखिया / सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या		मोबाइल नम्बर
						G	H	
A	B	C	D	E	F			
1	मुखिया का नाम				स्वयं			
2	नाम हटाने वाले सदस्य का नाम							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

उक्त सदस्य द्वारा विवाह के पश्चात् दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया है। अतएव उस सदस्य का राशनकार्ड में से नाम हटा दिया जाए। मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

आवेदक द्वारा वर्णित सदस्य द्वारा अब पुराने पते पर निवास नहीं किया जाता है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

## एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु नये राशनकार्ड के मुखिया हेतु प्रपत्र 12 E(ii)

<p><u>पता</u></p> <p>ग्राम :</p> <p>वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :</p> <p>पंचायत :</p> <p>प्रखण्ड :</p> <p>जिला :</p> <p>पुराने ज०विंप्र० दुकान का नाम :</p> <p>पुराना राशनकार्ड संख्या :</p>	<p><u>पुराने सदस्य का नया पता</u></p> <p>नाम :</p> <p>आधार संख्या :</p> <p>ग्राम :</p> <p>वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :</p> <p>पंचायत :</p> <p>प्रखण्ड :</p> <p>जिला :</p> <p>नये ज०विंप्र० दुकान का नाम :</p> <p>नया राशनकार्ड संख्या :</p>	<p><u>बैंक खाता विवरणी</u></p> <p>आवेदक मुखिया का नाम : .....</p> <p>बैंक का नाम : .....</p> <p>बैंक शाखा का नाम: .....</p> <p>बैंक खाता संख्या: [ ]</p>
---	---	--

\* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिसूचित मानक के लिए जाति प्रमाण—पत्र/निःशक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या		मोबाईल नम्बर
						G	H	
A	B	C	D	E	F			
1	मुखिया का नाम				स्वयं			
2	ग्राम जोड़े जाने वाले सदस्य का नाम							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

उक्त सदस्य द्वारा विवाह के पश्चात् इस राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया है। अतएव इस नये सदस्य का राशनकार्ड में नाम जोड़ा जाए। मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- आवेदक द्वारा वर्णित सदस्य द्वारा अब वर्तमान पते पर निवास किया जाता है।
- आवेदक द्वारा वर्णित सदस्य का नाम पुराने राशनकार्ड से हटा दिया गया है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

(71)

## राशनकार्ड में सदस्य का नाम हटाने का आवेदन प्रपत्र 12F

### पता

ग्राम :

वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :

पंचायत :

प्रखण्ड :

जिला :

ज़ोविंप्र० दुकान का नाम :

राशनकार्ड संख्या :

राशनकार्ड में से सदस्य का नाम हटाने का कारण  
(प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)

- सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)।
- सदस्य द्वारा अन्य देशों में प्रवास किया जा रहा है।
- सदस्य परिवार के मुखिया थे।  
(अगर मृत सदस्य परिवार के मुखिया थे तो)
- मृत्यूपरांत बनने वाले राशनकार्ड में अगले मुखिया के द्वारा आवेदन दिया गया है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

### नये मुखिया का बैंक खाता विवरणी

आवेदक मुखिया का नाम : .....

बैंक का नाम : .....

बैंक शाखा का नाम: .....

बैंक खाता संख्या: [ ]

\* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा निःशक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाइल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1	मुखिया का नाम				स्वयं		
2	मृत्यु/प्रवासन के पश्चात् शेष बचे सदस्यों के नाम						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- उक्त राशनकार्ड में से मुखिया/सदस्य (नाम एवं आधार संख्या) को मृत्यु/प्रवासन के कारण नाम हटाये जा सकते हैं।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

# राशनकार्ड सरेण्डर करने का आवेदन प्रपत्र 12G

## पता

ग्राम :

वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :

पंचायत :

प्रखण्ड :

जिला :

ज़ोविंप्र० दुकान का नाम :

राशनकार्ड संख्या :

- मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा परिवार अब अपवर्जन मानक के दायरे में आ चुका है। इस कारण मुझे राशनकार्ड का सरेण्डर करना है।
- मैं अपना राशन कार्ड सरेण्डर करना चाहता हूँ।
- मेरे मूल राशन कार्ड के अतिरिक्त निम्न राशन कोर्डों को रद्द किया जाय।  
(राशन कार्ड संख्या .....)

(जो लागू न हो उसे काट दे)

## परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर

क्र० सं०	आवेदक मुखिया / सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या							मोबाईल नम्बर
						A	B	C	D	E	F	G	H
1					स्वयं								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणों की मैंने स्वयं जाँच की है  
तथा यह सत्य एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचें परान्त मैंने  
सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

(69)

## राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया के बदलाव हेतु प्रपत्र 12H

### पता

ग्राम :

वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :

पंचायत :

प्रखण्ड :

ज़िला :

ज०वि०प्र० दुकान का नाम :

राशनकार्ड संख्या :

राशनकार्ड में से पुराने मुखिया का नाम हटाने का कारण  
(प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएं)

- पुराने मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)।
- पुराने मुखिया द्वारा अन्य देशों में प्रवास किया जा रहा है।
- पुराने मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण क्रियाशील नहीं हैं।

### नये मुखिया का बैंक खाता विवरणी

आवेदक मुखिया का नाम :

बैंक का नाम :

बैंक शाखा का नाम :

बैंक खाता संख्या:

\* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा—आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी निःशक्ता प्रमाण—पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाइल नम्बर	
							A	B
1	नये मुखिया का नाम				स्वयं			
2	पुराने मुखिया का नाम							
3	सदस्यों का नाम							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही एवं त्रुटिरहित है।  
किसी भी गलत सूचना के लिए मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती।

### सदस्यों के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

प्रस्तावित नए मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैंने सही पाया / निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया —

- उक्त राशनकार्ड में से मुखिया (नाम एवं आधार संख्या) को मृत्यु/प्रवासन/गंभीर बीमारी के कारण नाम में बदलाव किये जा सकते हैं।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम

# सत्यापनकर्ता द्वारा राशन कार्ड रद्दीकरण हेतु जाँच प्रपत्र 12।

69

## पता

ग्राम :

वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :

पंचायत :

प्रखण्ड :

जिला :

ज़ोविंप्र० दुकान का नाम :

राशनकार्ड संख्या :

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या							मोबाइल नम्बर	
						A	B	C	D	E	F	G	H	
1					स्वयं									
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया / निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया –

- राशनकार्डधारी परिवार को नोटिस जारी किया गया एवं उनका पक्ष जाना गया।
- राशनकार्डधारी परिवार से संबंधित मुखिया/वार्ड पार्श्वद को नोटिस जारी किया गया एवं उनका पक्ष जाना गया।
- राशनकार्डधारी समावेशन मानक (कंडिका संख्या)– ..... / अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)– ..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- राशनकार्डधारी का पूरा परिवार अपने निवास स्थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रह रहे हैं।
- राशनकार्डधारी द्वारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण प्रणाली दुकान से सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किया जा रहा है।

(16)

परिशिष्ट-V  
{ उप खण्ड 6(ज)(ा)(छ) के अधीन }

प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

- (i) आदिम जनजाति परिवार (PVTG)
- (ii) विधवा / परित्यक्ता / Transgender
- (iii) निःशक्ता (40 प्रतिशत या इससे अधिक)
- (iv) कैंसर / एड्स / कुष्ठ / अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- (v) अकेले रहने वाले वृद्ध / बुजुर्ग व्यक्ति / एकल परिवार
- (vi) अनुसूचित जनजाति
- (vii) अनुसूचित जाति
- (viii) अन्यान्य

४३

.. ..